

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11977 / 2021 स्वीटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यातक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थीया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थीया वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नो. 15, जिला—चुरू में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थीया के कथनानुसार उसने स्थानान्तरण में छुट मिलने पर अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित अधिकारी को प्रेसित कर दिया जिसमें याचिकार्थीया ने अपने गृहजिले में ब्लॉक श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर अपना स्थानान्तरण चाहा था, परन्तु स्थानान्तरण नहीं हुआ। अतः याचिकार्थीया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति—पत्नी प्रकरण (यदि पति—पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावे) के आधार पर चुरू जिले (चुरू मण्डल) से श्रीगंगानगर जिले (बीकानेर मण्डल) के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय श्रीकरणपुर (211941) जिला श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम—1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का रायुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल कैडर का होने के कारण मण्डल परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का मण्डल स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। वरिष्ठ अध्यापक के पद मण्डल में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार / मण्डलवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को मण्डलवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य मण्डल में स्थानान्तरण कर मण्डल परिवर्तन किये जाने से मण्डल में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थीया द्वारा पति—पत्नी दोनों के लाजपतीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर चुरू मण्डल से बीकानेर मण्डल में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 17(30) शिक्षा—2/2021 जयपुर, दिनांक 14.08.2021 द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति—पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में लोड दिशा—निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु.—3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.—3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के विन्दु संख्या 03 में अंकित पति—पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् कारंसंलिङा में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311 / 2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सुजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हत् वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग और प्रशासनीय विभाग द्वारा हत् वर्णित लागू किया जाने वाले ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थीया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियाँ एवं पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हत् की जा रही मान लक्षणगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अखोकृत की जाकर याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमवचयते



(काना रानी)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक — २५०१०२२

क्रमांक.— शिविरा—मा./संरथा/एफ—२/को.को./जोध/ 13122 / 2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायावही हेतु —

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू संभाग, चुरू
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चुरू
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थीया स्वीटी, व.अ. (सामाजिक विज्ञान), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नो.15, जिला—चुरू (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)